



पंचदश बिहार विधान सभा
चतुर्दश सत्र
ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 17.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री जनक सिंह, स०वि०स०	"राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना तथा निःशक्तता पेंशन योजना के आश्रित लाभार्थियों को पिछले डेढ़ वर्षों से पेंशन की राशि नहीं मिलने से ये भूखमरी के शिकार होकर मरणासन्न के कगार पर पहुँच गये हैं।	समाज कल्याण
डॉ० अच्युतानन्द, स०वि०स०	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०	अतः इन पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	
श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स०	श्री ज्ञानचन्द्र मांझी, स०वि०स०		
श्री कन्हैया कुमार, स०वि०स०			
डॉ० अजय कुमार सिंह, स०वि०स०			
श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स०			

1	2	3	4
2. मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० मो० जावेद, स०वि०स० डॉ० दाउद अली, स०वि०स० श्री जाकिर हुसैन खान, स०वि०स०	“किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत 34 करोड़ की लागत से सौचा पुल (लौचा पंचायत) का निर्माण कार्य लगभग तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया परन्तु संवेदक द्वारा कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया है। निर्माण कार्य बन्द हो जाने के बजह से आम जनों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। डेढ़ागाढ़ प्रखण्ड के लोगों का आवागमन बन्द है। जिला मुख्यालय जाने का एक मात्र साधन वह पुल है।	पथ निर्माण	

अतः उक्त पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने एवं विलंब के लिए संवेदक एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

हरेराम मुख्या

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/14-

1063

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 16 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

। लेखा॒ बिहारी॑
(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/14-

1063

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 16 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति:-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

। लेखा॒ बिहारी॑
(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

। लेखा॒ बिहारी॑
(नियाज अहमद)